


कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

-: कार्यालय आदेश :-

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक:-प.19(03)शिक्षा-2/2019 जयपुर दिनांक 21.01.21 की अनुपालना में समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के नियंत्रणाधीन राईस द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय जैतेश्वर धाम (बाडमेर) में चयनित निम्नलिखित कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए किये जाने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें।

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पद का नाम	प्रतिनियुक्ति पर पद का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री भंवराराम	राउमावि. तालसर धनाउ बाडमेर	व्याख्याता (हिन्दी)	व्याख्याता हिन्दी अनिवार्य
2	श्री चुतरा राम	रा.महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय सिणधरी बाडमेर	व्याख्याता अंग्रेजी	व्याख्याता अंग्रेजी


  
(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था-4/सी-8/प्रतिनियुक्ति (अन्य)/2020 दिनांक- 21-01-2021  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. आयुक्त, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक-संभाग कार्यालय।
5. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. संबंधित संस्थाप्रधान/नियंत्रण अधिकारी।
8. संबंधित अधिकारी।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा कौ उक्त आदेश प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)